GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI FINANCE (EXPENDITURE-I) DEPARTMENT DELHI SECRETARIAT, I.P. ESTATE, NEW DELHI

No.F.3(06)/Fin(Exp-1)/25-26/ ds//632

Dated: 04/07/2025

To

The Commissioner
Trade & Taxes Department,
Government of NCT of Delhi,
Vyapar Bhawan, ITO, New Delhi.

Sub: Vacancy Circular for filling up the post of Technical Member (State) of the GST Appellate Tribunal (GSTAT).

Madam.

May kindly refer to Vacancy Circular regarding filling up the post of Technical Member (State) of the GST Appellate Tribunal (GSTAT), which is already published by DIP on 30.06.2025. Department of Trade & Taxes was required to upload the circular and annexure on the site (https://delhitradetax.delhi.gov.in/) and had to make provisions for interested applicants to apply on (https://gstn.org.in/gstat-state-appliction/#/home).

Now, queries are coming in the Finance Department that the circular and annexures are not available on the above said links. So, if it has not been uploaded yet, the same may be uploaded immediately, for the sake and convenience of the interested applicants. If uploaded already, the facts of uploaded details may be crosschecked with the latest enclosure and any defect may be corrected under intimation to this office.

Encl.: As above.

Yours faithfully

(Ravinder Kumar) Joint Secretary (Finance)

Pl.do.no.

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार वित्त विभाग

फा॰ सं॰			
		0	-
		IGT	ia

विषयः जीएनसीटीडी माल और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण-रजि. की राज्य पीठ के तकनीकी सदस्य (राज्य) के पदों के लिए चयन के संबंध में।

- 1. जीएनसीटीडी के माल और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण (जीएसटीएटी) को राज्य पीठ केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (जिसे आगे' सीजीएसटी अधिनियम' कहा जाएगा) के तहत सीजीएसटी अधिनियम और दिल्ली जीएसटी के संबंधित राज्य जीएसटी अधिनियमों के तहत विभिन्न अपीलों की सुनवाई के लिए स्थापित दूसरी अपीलीय प्राधिकरण है। केंद्र सरकार ने दिल्ली के लिए 1 (एक) राज्य पीठ अधिसूचित की है। मुख्य पीठ नई दिल्ली में स्थित है।
- राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (जीएनसीटीडी) राज्य पीठ में जीएसटीएटी के तकनीकी सदस्य (राज्य) के लिए रिक्त स्थान को भरने का प्रस्ताव है।
- 3. निम्नलिखित रिक्तियों के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं:

तालिका 1: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में जीएसटीएटी राज्य पीठ के तकनीकी सदस्य (राज्य) की रिक्तियां

पद	राज्य पीठ	रिक्त पदों की संख्या
तकनीकी सदस्य (राज्य)	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार	1
कुल पद		

- 4. योग्यता और पात्रता की शर्ते :- उम्मीदवार की नियुक्ति की योग्यता, पात्रता, वेतन और अन्य नियम और शर्ते सीजीएसटी अधिनियम और माल और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण (अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति और सेवा की शर्ते) नियम, 2023 (इसके बाद 'जीएसटीएटी नियम के रूप में संदर्भित) के प्रावधानों द्वारा शासित होंगी। विभाग की वैबसाइट लिंक (https://delhitradetax.delhi.gov.in/)पर विस्तृत विज्ञापन देखें।
- 5. चयन की प्रक्रियाः केंद्र सरकार सीजीएसटी अधिनयम, 2017 की धारा 110 की उपधारा (4) के खंड (ए) के तहत गठित खोज-सह-चयन सिमिति (जिसे आगे 'सिमिति' कहा जाएगा) की सिफारिशों पर तकनीकी सदस्य (राज्य) की नियुक्ति करेगी। प्राप्त आवेदनों की योग्यता और प्रासंगिक अनुभव को ध्यान में रखते हुए पदों के लिए आवेदकों की पात्रता के संबंध में जांच की जाएगी। शॉर्टिलस्ट किए गए उम्मीदवारों को व्यक्तिगत बातचीत के लिए बुलाया जा सकता है। यदि आवश्यक और उचित समझा जाए तो सिमिति द्वारा विचार किया जाएगा। सिमिति योग्यता, अनुभव और व्यक्तिगत बातचीत के आधार पर समग्र मूल्यांकन के आधार पर उपयुक्त उम्मीदवारों के एक पैनल की सिफारिश केंद्र सरकार को नियुक्तियां करने के लिए करेगी।

6. आवेदन प्रक्रियाः

- (1) इच्छुक उम्मीदवार आवश्यक दस्तावेजों के साथ निर्धारित फॉर्म में ऑनलाइन (https://gstn.org.in/gstat-state-application/#/home) आवेदन करेंगे। आवेदन जमा करना 30 जून 2025 से शुरू होगा और आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2025 को शाम 5:00 बजे हैं। किसी अन्य माध्यम से जमा किए गए आवेदन अस्वीकार किए जा सकते हैं। हालांकि, ऑनलाइन आवेदन करते समय किसी भी दस्तावेज को अपलोड करने में कठिनाई के मामले में, दस्तावेज की अंतिम तिथि तक ईमेल द्वारा support.gstat@gstn.org.in पर अग्नेषित किया जा सकता है, ईमेल में ऑनलाइन आवेदन संख्या का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए।
- (ii) पात्र और इच्छुक अधिकारियों (केवल सेवारत) द्वारा आवेदन के साथ नियोक्ता/विभागाध्यक्ष द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला प्रमाण पत्र होना चाहिए।
- (iii) फॉर्म भरने या अपलोड करने में किसी भी कठिनाई के मामले में, support.gstat@gstn.org.in पर ईमेल भेजा जा सकता है।
- साक्षात्कार/बातचीत के लिए बुलाए जाने वाले उम्मीदवारों को कोई टीए/डीए स्वीकार्य नहीं होगा। उम्मीदवारों को स्वयं व्यवस्था करनी होगी।
- 8. विज्ञापन और निर्धारित आवेदन पत्र अनुलग्नकों के साथ दिल्ली सरकार की वैबसाइट (https://delhitradetax.delhi.gov.in/), दिल्ली जीएसटी विभाग और भारत सरकार के राजस्व विभाग (https://dor.gov.in/) से डाऊनलोड किया जा सकता है।
- नियत तिथि के बाद या ऊपर बताए गए आवश्यक विवरण, दस्तावेज और प्रासंगिक अनुलग्नकों के बिना प्राप्त कोई भी आवेदन समिति के विवेक पर अस्वीकार किया जा सकता है।

संयुक्त सचिव (वित्त)

सेवा में,

- राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार से अनुरोध है कि रिक्ति परिपत्र का आपके संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों में व्यापक प्रचार किया जाए।
- 2. मुख्य सचिव, दिल्ली सरकार से अनुरोध है कि रिक्ति परिपत्र का आपके संबद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालयों में व्यापक प्रचार किया जाए।
- 3. आयुक्त, राज्य कर दिल्ली से अनुरोध है कि आपके प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत आने वाले सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में आवेदनों के शीघ्र एवं अधिकतम संख्या में प्राप्त होने के लिए व्यापक प्रचार किया जाए।
- 4. तकनीकी निदेशक, एनआईसी, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, कक्ष संख्या 11-ए, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली से अनुरोध है कि इस परिपत्र को कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की वेबसाइट पर पोस्ट किया जाए।

अनुलग्नक –।

तकनीकी सदस्य (राज्य) के पद हेतु आवेदन

जम्भीदवार के फोटो के लिए स्थान

व्यक्तिगत विवरण:

- 1. नाम
- 2. जन्म-तिथि
- 3. वर्ग (अनु०जाति / अनु० जन० / अ०पि०व० / अना०)
- 4. पदनाम/पद/व्यवसाय
- 5. संपर्क विवरण

	आवासीय		· आधिकारिक
	वर्तमान	रथायी	(अनिवार्य नहीं)
पता :			
मोवाइल / फोन नं0			
ईमेल :			

(पंजीकरण विवरणों के आधार पर मोबाइल और ईमेल पता को पहले से भरा जाए।)

- 6. संवर्ग / सेवा (जहां भी लागू हो)
- 7. शैक्षिक योग्यता (उलटे कालानुक्रमिक क्रम में) :

क्र0 सं0	विश्वविद्यालय/समकक्ष संस्थान का नाम	डिग्री	उत्तीर्ण का वर्ष	प्राप्त अंको की श्रेणी का प्रतिशत	विषय / विशेषज्ञता

- 8. कार्य-अनुभवः कर्मचारी के रूप में अनुभव के लिए, वर्तमान रोजगार से शुरू करते हुए कालानुक्रमिक क्रम में रोजमार रिकॉर्ड को उल्टे क्रम में सूचीबद्ध करें :
 - (क) यथा राज्य रारकार रोवा या अखिल भारतीय रोवा (कृपया राज्य, संवर्ग और वर्ष निर्दिष्ट करें) :
 - (ख) समूह क या रामकक्षा में अनुभव के कुल वर्षों की संख्या :
 - (ग) यदि राज्य रारकार रोगा है, तो निर्दिष्ट करें कि क्या अधिकारी अपर आयुक्त (वैट) या अपर आयुक्त (राज्य गाल एवं रोगा कर) या संबंधित राज्य द्वारा यथा अधिसूचित प्रथम अपीलीय प्राधिकारी रो कम रैंक रो नीचे नहीं है: हां/नहीं
 - (घ) वेतन विवरण, रोवा की अविधि और कार्य/अनुभव की प्रकृति (केवल समूह क या समकक्ष के लिए प्रासंगिक उपलब्ध कराएं) :

पदनाम, वेतन या वेतनमान (वेतन मैद्रिक्स में वेतन)	तैनाती का ख्यान	विभाग	सेवा	की अवधि
			से	तक

- (ड.) लगाए गए वडे और छोटे दंडों का विवरण; लंबित अनुशासनात्मक एवं आपराधिक कार्यवाही. यदि कोई हो:
- (च) राज्य सरकार में किसी मौजूदा कानून या माल एवं सेवा कर या वित्त या कराधान के प्रशासन में अनुभव के वर्षों की संख्याः
- (छ) राज्य सरकार में किसी मौजूदा कानून या माल एवं रोवा कर या वित्त या कराधान के प्रशासन में अनुभव का विवरण, जिसमें अधिमानतः अपीलीय प्राधिकारी के रूप में अधिनिर्णय का अनुभव भी शामिल हैं: (250 शब्दों तक)
- (ज) आवेदक द्वारा पारित 10 अधिनिर्णय आवेशों की प्रतियां संलग्न करें, यदि कोई हो।
- 9. प्रमुख उपलब्धियों पर लिखें : (150 शब्दों तक)
- 10. पुरस्कार / सम्मान / प्रकाशन, यदि कोई हो।
- 11. व्यावसायिक निकायों वाले संस्थानों / सोसायटियों / या राजनीतिक दल सहित किसी अन्य निकाय से संबद्धता।
- 12. अतिरिक्त जानकारी, यदि कोई हो, जिसका उल्लेख आप पद के लिए आवेदन के समर्थन में करना चाहते हैं।

¹ मौजूदा कानून का अभिप्राय दिनांक 01.07.2017 से पूर्व पारित या बनाए गए किसी भी कानून से संबंधित कोई भी कानून जो गाल या सेवाओं या दोनों पर शुल्क या कर लगाने और संग्रह करने से संबंधित है।

द्योक्णा

- मैं प्रमाणित करता हूँ कि मेरे ज्ञान और विश्वास के अनुसार उपरोक्त जानकारी सही और पूर्ण है. तथा दुसमें कछ भी छिपाया / विकृत नहीं किया गया है। यदि किसी भी समय यह पाया जाता है कि मैंने कोई महत्वपूर्ण जानकारी छिपाई/विकृत की है, तो मेरी नियुक्ति बिना किसी सूचना के समाप्त की जा सकती है।
 - मैं प्रमाणित करता हूँ कि मैं यहाँ आवेदित पद के लिए न्यूनतम आवश्यकताओं को पूर्ण करता हूँ। ri S
- मैं साक्षात्कार या बातचीत, यदि कोई हो, तों उसमें उपस्थित होने के पश्चात अपनी उम्मीदवारी वापस 3
- यदि मुझे कैबिनेट की नियुक्ति समिति द्वारा नियुक्ति के लिए चुना जाता है, तो में नियुक्ति को अस्वीकार नहीं कर्लगा। 4
- में नियुक्ति के आदेश जारी होने की तिथि से 30 दिनों के भीतर कार्यभार ग्रहण करूँगा। 5
- मैं अवगत हूं कि यदि मैं क्रम संख्या 3 से 5 में उल्लिखित किसी भी शर्त का उल्लंघन करता हूं, तो भारत सरकार या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, जैसा भी मामला हो, मुझे संवर्ग के बाहर और किसी भी स्वायत निकाय/साविधिक निकाय/नियामक निकाय में नियुक्ति हेतु विचार करने के लिए तीन वर्षों की अवधि के लिए प्रतिबंधित कर सकती है। 9

स्थानः

तिथि:

उमीदवार का हस्ताक्षर

नियोक्ता का प्रमाण-पत्र

(सक्षम प्राधिकारी या विभागाध्यक्ष द्वारा प्रस्तुत एवं हस्ताक्षरित)

- 1. अधिकारी का नाम (पूरा)
- 2. पिता का नाम
- 3. जन्म-तिथि
- 4. सेवानिवृत्ति की तिथि
- 5. सेवा में प्रवेश की तिथि
- अधिकरी जिस सेवा से संबंधित है उसमें बैच / वर्ष / संवर्ग आदि शामिल है, जहाँ भी लागू
- धारित पद (पिछले दस वर्षों के दौरान (यदि सेवानिवृत्त हैं, तो सेवा सेवानिवृत्ति से दस वर्ष पूर्व) :

क्र0 सं0	संगठन (पूरा नाम)	पदनाम एव तैनाती का स्थान	प्रशासनिक गंत्रालय / र	/ नोडल गवंधित विभाग
		THE RESERVE	से	तक

- क्या अधिकारी को सहमत सूची अथवा संदिग्ध सत्यिनिष्ठा अधिकारी की सूची में रखा गया है (यदि हाँ, तो उसका विवरण दिया जाए) :
- 9. क्या विगत 10 वर्षों के दौरान अधिकारी के विरुद्ध सतर्कता संबंधी दृष्टिकोण से जुड़े किसी कदाचार के आरोप की जांच की गई थी और यदि हां, तो उसका परिणाम क्या रहा
- 10. क्या विगत 10 वर्षों के दौरान अधिकारी को कोई सजा दी गई थी और यदि हां, तो सजा देने की तिथि तथा दंउ के विवरण दें:
- क्या अधिकारी के विरुद्ध आज की तिथि तक कोई अनुशासनात्मक/आपराधिक कार्यवाही या आरोप पत्र लंबित है (यदि हां, तो विवरण प्रस्तुत किया जाए)
- क्या आज की तिथि तक अधिकारी के के विरुद्ध कोई कार्रवाई प्रस्तावित है (यदि हां, तो विवरण प्रस्तुत करें :

तिथि:

1. पात्रता :

तकनीकी सदस्य (राज्य): तकनीकी सदस्य (राज्य) के रूप में नियुक्ति हेतु वह व्यक्ति योग्य होगा जो अपर आयुक्त, मूल्य संवर्धित कर या राज्य माल एवं सेवा कर या ऐसे रैंक से नीचे का अधिकारी न हो, जो प्रथम अपीलीय प्राधिकारी से नीचे न हो, जब तक कि वह राज्य सरकार का अधिकारी न हो या न रहा हो या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में एजीएमयूटी कैंडर की अखिल भारतीय सेवा (समूह क) का अधिकारी न हो, जिसने समूह क या समकक्ष के रूप में सरकार में कम से कम पंद्रह वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, बशर्ते कि कुल सेवा पच्चीस वर्ष की हो।

2. वेतन और परिलब्धियां :

- मूल वेतनः ₹ 2,25,000 / (निर्धारित)
- पेंशनभोगियों के लिए, ऐसे व्यक्ति के वेतन में उसके द्वारा प्राप्त पेंशन की सकल राशि को घटा दिया जाएगा।
- एक लाख पच्चीस हजार रुपये प्रतिमाह की सीमा के अधीन मकान किराये की प्रतिपूर्ति के लिए पात्र होंगे।
- स्टाफ कार या परिवहन भत्ते की सुविधा के हकदार होंगे।
- भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें (डीए, चिकित्सा आदि) वही होंगी जो समान वेतन वाले केंद्र सरकार के अधिकारियों (वर्तमान में वेतन रतर 17 के अधिकारी) के लिए लागू हैं।
- न्यायाधिकरण में की गई सेवा के लिए पेंशन, भविष्य निधि और ग्रेच्य्टी स्वीकार्य नहीं होगी।
- सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिए तीस दिन की अर्जित छुट्टी के हकदार होंगे।
- प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में आठ दिन की आकिस्मिक छुट्टी के हकदार होंगे।
- विदेश यात्रा के लिए केंद्र सरकार स्वीकृति देने वाला प्राधिकारी होगा।
- केंद्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियमावली, 1972 के अंतर्गत अधिकतम अनुमत नकदीकरण की शर्त के अधीन छुट्टी नकदीकरण की अनुमित दी जाएगी, जिसमें पिछली सेवा से छुट्टियों का नकदीकरण भी शामिल है।
- सीजीएसटी अधिनियम और जीएसटीएटी नियमों के लागू प्रावधानों के अनुसार तैनाती का खान परिवर्तन/स्थानांतरण के अधीन है।

3. अन्य निबंधन एवं शर्ते :

- न्यूनतम आयु 50 वर्ष और अधिकतम आयु 67 वर्ष निर्धारित है।
- प्रारंभिक नियुक्ति 4 वर्ष की अवधि के लिए होगी (अधिकतम आयु सीमा 67 वर्ष के अधीन) और 2 वर्ष की अवधि के लिए पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होंगे।
- केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा चिकित्सकीय रूप से फिट घोषित किया जाना चाहिए।
- कार्यरत अधिकारी न्यायाधिकरण में कार्यभार ग्रहण करने से पहले या तो त्यागपत्र दे देंगे या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले लेंगे।

Government of National Capital Territory of Delhi **Finance Department**

Date

F. No.

VACANCY CIRCULAR

Subject: Selection for the posts of Technical Member (State) of GNCTD State Bench of the Goods and Services Tax Appellate Tribunal - reg.

- The State Bench of Goods and Services Tax Appellate Tribunal (GSTAT) of GNCTD
 is the second Appellate Tribunal (GSTAT) of GNCTD is the second Appellate Authority established under the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (hereinafter referred to as "CGST Act") to hear various appeals under the CGST Act and the respective State GST Acts of Delhi GST. The Central Government has notified 1 (One) State Bench for Delhi. The Principal bench is situated at New Delhi and its Delhi State branch is situated at Delhi.
- 2. It is proposed to fill the vacancy for Technical Member (State) of the GSTAT in the Govt. of National Capital Territory of Delhi (GNCTD) State Bench.
- 3. Applications are invited for the following vacancy:

TABLE 1: Vacancy of Technical Member (State) of GSTAT State Bench in GNCTD

Post	State Bench	Vacant number o Posts
Technical Member	GNCTD	1
(State)		1
Total Posts		

4. Qualifications and Eligibility conditions: The qualifications, eligibility, salary and other terms and conditions of the appointment of a candidate will be governed by the provisions of the CGST Act and Goods and Services Tax Appellate Tribunal (Appointment an

d Conditions of Service of President and Members) Rules, 2023 (hereinafter referred to as "GSTAT Rules"). May refer to detailed advertisement on Department web site link at (https://delhitradetax.delhi.gov.in/).

5. Procedure for selection: The Central Government shall appoint the Technical Member (State) on the recommendations of the Search-cum-Selection Committee (hereinafter referred to as "Committee") constituted under clause (a) of sub-section (4) of section 110 of the CGST Act, 2017. The Applications received would be scrutinized with respect to eligibility of applicants for the posts having regard to the qualifications and relevant experience. Shortlisted candidates may be called for personal interaction by the Committee, if deemed necessary and proper. The Committee shall recommend a panel of suitable candidates, on the basis of overall evaluation based on the qualification, experience and personal interaction to the Central Government to make the appointments.

6. Application Procedure:

- (i) Interested candidates shall apply online (https://gstn.org.in/gstat-state-application/#/home) in the prescribed form along with necessary documents. Application submission will begin on 30th June 2025 and the last date for submitting applications is 5:00 PM on 31st July 2025. Applications submitted through any other mode shall be liable to rejection. However, in case of difficulty in uploading any document while making the online application, the document may be forwarded by email by the last date to email support.gstat@gstn.org.in, clearly mentioning the online application number in the email.
- (ii) Applications by eligible and willing officers (serving only) should be accompanied with a certificate to be furnished by the employer/ head of department.
- (iii) In case of any difficulty encountered in filling up or uploading the Form, email can be sent on support.gstat@gstn.org.in
- No TA/DA will be admissible to the candidates to be called for interview/interaction.
 The candidates are required to make own arrangements.
- 8. Advertisement and prescribed application form with annexures can be downloaded from website of Government of NCT of Delhi (https://delhitradetax.delhi.gov.in/) Delhi GST Department and Department of Revenue of Government of India (https://dor.gov.in/).
- 9. Any application received after the due date or without necessary statements, documents and relevant attachments as mentioned above will be liable for rejection at the discretion of the Committee.

(Ravinder Kumar)
Joint Secretary (Finance)

-sd-

APPLICATION FOR THE POST OF Technical Member (State)

Space for photograph of the candidate

PERSONAL DETAILS:

- 1. Name
- 2. Date of Birth
- 3. Category (SC/ST/OBC/UR)
- 4. Designation/Position/Profession
- 5. Contact Details

	Residenti	al	Official (not
	Present	Permanent	mandatory)
Address:			
Mobile/Phone No.			
Email:			

(Mobile and email address to be pre-filled based on registration details)

- 6. Cadre/ Service [Wherever applicable]7. Educational qualification (in reverse chronological order):

S.No	Name of University / Equivalent Institution	Degree	Year of passing	Division/ % of marks obtained	Subject / Specializati on

- Work Experience: For the experience as employee, Employment record in chronological order starting with present Employment, list in reverse:
 - (a) Whether State Government Service or All India Service (pls. specify State, Cadre and Year):
 - (b) Total number of years of experience in Group A or equivalent:
 - (c) If State Government Service, specify whether the officer is not below the rank of Additional Commissioner (VAT) or the Additional Commissioner (State Goods and Services Tax) or such rank not lower than first appellate authority as notified by the concerned State: Yes/No
 - (d) Pay details, Period of service and Nature of work/experience (provide only relevant to Group A or equivalent):

S.No	Designation, Pay or Scale of pay (Pay in Pay Matrix)	Place of Posting	of	Department	Perio Seri	
					From	To
						70

- (e) Details of major and minor penalties imposed; disciplinary and criminal proceedings pending, if any:
- (f) Number of years of experience in the administration of an existing law¹ or good and services tax or finance or taxation in the State Government:
- (g) Details of experience in administration of an existing law or good and services tax or finance or taxation in the State Government including adjudicating experience preferably as appellate authority: (Upto 250 words)
- (h) Attach copies of 10 adjudicating orders, if any, passed by the applicant.
- 9. Write up on major achievements: (Upto 150 words)
- 10. Awards/honours/Publications, if any
- 11. Affiliation with the professional bodies Institutions/societies/or any other body including political party.
- 12. Additional information, if any, which you would like to mention in support of the application for the post.

¹ Existing law means any law relating to levy and collection of duty or tax on goods or services or both passed or made before01.07.2017.

DECLARATION

- I certify that the foregoing information is correct and complete to the best of my knowledge
 and belief, and nothing has been concealed/distorted. If at any time, I am found to have
 concealed/distorted any material information, my appointment shall be liable to summary
 termination without notice.
- 2. I certify that I meet the minimum requirements for the post applied for herein.
- 3. I shall not withdraw my candidature after appearing for the interview or interaction, if any.
- 4. I shall not decline the appointment, if selected for appointment by the Appointment Committee of Cabinet.
- 5. I shall join within 30 days from the date of issue of order of appointment.
- 6. I am aware that in case I violate any of the conditions mentioned at SI.No.3 to 5, the Government of India or Government of NCT of Delhi, as the case may be, may debar me for a period of three years for consideration for appointment outside the cadreand in any Autonomous Body/Statutory Body/Regulatory Body.

Place: Date:

Signature of the candidate

Annexure - II

CERTIFICATE OF EMPLOYER

(To be furnished and signed by the competent authority or HOD)

- 1. Name of the Officer (infill) :
- 2. Father's name
- 3. Date of Birth
- 4. Date of Retirement
- 5. Date of entry into service:
- 6. Service to which the officer belongs including batch /year/ cadre etc., wherever applicable
- 7. Positions held (During ten preceding years (if retired, then ten years preceding retirement):

S. No	Organisation (name in full)	Designation& Place of Posting	Administr / Nodal M Departmen	
			From	To

- 8. Whether the officer has been placed on the agreed list or list of Officer of Doubtful Integrity (if yes, details to be given)
- Whether any allegation of misconduct involving vigilance angle was examined against the officer during the last 10 Years and if so with what result
- Whether any punishment was awarded to the officer during the last 10 years and if so, the date of imposition and details of penalty
- 11. Is any disciplinary/ criminal proceedings or charge sheet pending against the officer as on date (if so, details to be furnished)

12. Is any action contemplated against the Officer as on date (if so, details to be furnished :

Date:

(NAME AND SIGNATURE)

1. Eligibility:

Technical Member (State): A person shall be qualified for appointment as a Technical Member (State) who must be an officer not below the rank of Additional Commissioner of Value Added Tax or the State Goods and services ax or such rank, not lower than that of the First Appellate Authority, unless he is or has been an officer of the State Government or an officer of the All India Service (Group 'A') of AGMUT Cadre in the Government of National Capital Territory of Delhi, who has completed at least fifteen years of service in the Government as Group A or equivalent, subject to overall twenty-five years of service.

2. Salary and emoluments:

- Basic Salary: ₹ 2,25,000/- (fixed)
- For pensioners, the pay of such person shall be reduced by the gross amount of pension drawn by him/her.
- Shall be eligible for reimbursement of house rent subject to a limit of rupees one lakh twenty-five thousand per month.
- Shall be entitled to the facility of staff car or transport allowance.
- Allowances and other terms and conditions of service (DA, Medical etc.) shall be the same as applicable to Central Government officers carrying the same pay (presently an officer at Pay Level 17).
- Pension, Provident Fund and gratuity shall not be admissible for the service rendered in the Tribunal.
- Shall be entitled to thirty days of earned leave for every year of service.
- Shall be entitled to eight days of casual leave every calendar year.
- Central Government shall be the sanctioning authority for foreign travel.

- Leave encashment shall be allowed, subject to the condition of maximum allowed encashment under Central Civil Services (Leave) Rules, 1972 including encashment of leaves from previous service.
- Place of posting is subject to change/transfer as per the applicable provisions of CGST
 Act and GSTAT Rules.

3. Other terms and conditions:

- Minimum age prescribed is 50 years and Maximum age is 67 years.
- Initial Appointment will be for a period of 4 years (subject to maximum age limit of 67 years) and eligible for re-appointment for a period of 2 years.
- Must be declared medically fit by an authority specified by the Central Government.
- Serving Officers shall either resign or obtain voluntary retirement before joining the Tribunal.